

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड सरदारशहर
 क्रमांक: 62-71 दिनांक: 15/04/2025

ई-निविदा सूचना सं. 01/2025-26

राजस्थान के राज्यपाल महोदय को और से सरदारशहर खण्ड के अनर्गत भवन एवं सड़क निर्माण कार्य हेतु कुल 4 भागों के लिए उपयुक्त श्रेणी के सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/छात्र एवं पूर्व संचार विभाग/खेववे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों को जो कि राजस्थान सरकार के उपयुक्त श्रेणी के संवेदकों के सम्बन्ध में, से निर्धारित प्रथम में ई-निविदा प्रक्रिया द्वारा अर्ज-सौदनी ई-निविदा/आवृत्तिका को जाना है। आर.पी.ई.ए. 100 को चर्चा लागू होनी है। ई-निविदा से सम्बन्धित विवरण वेबसाइट <http://rajasthan.gov.in> पर विभागीय वेबसाइट eproc.rajasthan.gov.in तथा sppp.raj.nic.in पर देखा जा सकता है। SPPP पर अपलोड PWD2526GA0115 के UBN No. निम्न प्रकार है:-

S.No.	UBN नं.	UBN No.
1	PWD2526W/SO/000337	PWD2526W/SO/000340
3	PWD2526W/SO/000342	PWD2526W/SO/000343

हस्ता./-
(गणेश कुमार सेनी)
अधिशाषी अभियन्ता,
सा.वि. खण्ड-सरदारशहर

DIPR/C/5389/2025

सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
 निगमित कार्यालय : भूखंड सं 492, उद्योग विहार, फेज-3, गुरुग्राम, हरियाणा-122016 पंजीकृत कार्यालय : 5वां तल, कुंदन भवन, आजादपुर कर्मचारी कैंम्प/सेक्टर, आजादपुर, नई दिल्ली-110033

मांग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 (1) के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत।

अधोहस्ताक्षरकों ने सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (उत्तम अधिनियम) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उत्तम अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत, प्राधिकृत अधिकारी ने उत्तम अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचनाओं 10-04-2025 निर्गत की थी, जिन्हें निम्नलिखित शर्तों/शर्तों (उत्तम अधिनियम/शर्तों) को उन्हे निम्नलिखित शर्तों/शर्तों (उत्तम अधिनियम/शर्तों) के साथ पठित किया जाता है कि वे इस सूचना के प्रकाशन से 60 दिनों के अंदर धारा 13(2) के अंतर्गत निर्गत सूचना दिनांकित 10-04-2025 में यहां इसमें निर्मांकित देय राशि का उत्तम ऋणकर्ता(ओं) द्वारा निष्पादित अन्य प्रस्तावों/आवेदों/यदि कोई, के साथ पठित ऋणसूचक के अंतर्गत भुगतान/गुण, निर्मांकित तिथि(यों) से लेकर के भुगतान एवं/अथवा वसूलीकरण की तिथि तक, उत्तम मांग सूचना(ओं) में विवरणानुसार मानी व्याज के साथ भुगतान कर दें। ऋण के निगत प्रतिभूतिगत की प्रतिभूति के रूप में निर्मांकित परिसंपत्तियों को अग्रतः उत्तम ऋणकर्ता(ओं) द्वारा सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पास बंधकृत किया गया है।

ऋणकर्ता(ओं) / गारंटर(ओं) के नाम	मांग सूचना	प्रतिभूति परिसंपत्ति (बचत संविदा) का विवरण
गोविंद हरि बुखाला पुत्र ऋणकर देव (आधारकर्ता) मेधा बुखाला गोविंद हरि बुखाला पुत्री (सह-आधारकर्ता)	मांग सूचना दिनांक : 10/4/2025 राशि रु. 112765/- (एक लाख सत्तर हजार सात सौ पचास मात्र) 02.02.2025 तक।	प्लॉट नं.18, अरुली नं. 132एचआर से निकला गया, क्षेत्रफल 56.73 वर्ग मीटर, ग्राम मकदमावाड़, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित, निगमित/सौभाग्य पूर्व-प्रारंभिक प्लॉट नं. 13 विभाग-20 फीट चौक, उत्तर-प्रादेशिक प्लॉट नं. 19, दक्षिण-प्रादेशिक प्लॉट नं. 17

यदि उत्तम ऋणकर्ता(ओं) उपरोक्त सूचित परिसंपत्तियों के विवेक, लागतों एवं परिणामों से संतुष्टि उत्तम ऋणकर्ता(ओं) के संपूर्ण अंतिम पर अधिनियम की धारा 13 (4) और क्या लागू नियमावली के अंतर्गत करवाई करेंगे। उत्तम ऋणकर्ता(ओं) को अधिनियम के अंतर्गत प्रतिभूति किया जाता है कि वे सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की पूर्व लिखित अनुमति-रहितता के बिना उपरोक्त परिसंपत्तियों का विक्रय, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्य हस्तान्तरण नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति जो उत्तम अधिनियम के प्रावधानों अथवा उसके अंतर्गत विहित नियमावली का उल्लंघन करता है अथवा उल्लंघन के लिए उत्तरदाता है उसे अधिनियम के अंतर्गत उपलब्धनुसार कार्रवाई देय तहत/अथवा अवैध दिया जाएगा।

स्थान : गुरुग्राम हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी दिनांक : 29-04-2025 सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

इंडिया शेल्टर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड अर्थात् सम्पत्ति के लिए कच्चा सूचना

की कार्यालय :- प्लॉट-15, फेज तल, सेक्टर-44, इंदौर/इंदौर/गुजरात, पुराण, कुरुग्राम, हरियाणा-122 002.
 पंचायत पत्र :- सी-3/10, सीडी टावर, मिथुन चंड, गोमती नगर, लखनऊ - 226 010, उत्तर प्रदेश

जबकि, अधोहस्ताक्षरों ने इंडिया शेल्टर फाइनेंस (एक कॉर्पोरेशन लिमिटेड) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आसिस्तों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और (प्रतिभूति) हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) एवं 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शर्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना इसमें आगे वर्णित शर्तों के सामने वर्णित तिथि को जारी की थी, जिसमें कर्दार और सम्पत्ति के रूप में, प्राप्ति से बकाया राशि का भुगतान उत्तम सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। जबकि सम्पत्ति स्वामी और अन्य उत्तम बकाया राशि करने में असफल रहे हैं, एतद्वारा अनौपचारिक कर्दारों तथा संरक्षक/गारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरों ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति/यों का कच्चा उत्तम नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित उत्तम अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन उत्तम प्रदत्त शर्तियों का प्रयोग करते हुए प्रदत्त शर्तों के सामने वर्णित तिथि को प्राप्त कर लिया है। अतः, कर्दार को विशेष रूप से तथा संरक्षक/गारण को इन सम्पत्ति/यों के संबंध में संव्यवहार नहीं करने देना संभव माना जाता है तथा इन सम्पत्ति/यों के संबंध में कोई भी संव्यवहार इंडिया शेल्टर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड की नीचे वर्णित बकाया राशि तथा उस पर व्याज, लागत इत्यादि के प्रभावहीन होगा।

कर्दार/गारंटर (सम्पत्ति स्वामी) का नाम एवं ऋण खाता नंबर	सम्पत्ति/बैंक सम्पत्ति (सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड) का वर्णन	मांग सूचना की तिथि, मांग सूचना की तिथि तक बकाया राशि	कच्चा की तिथि
श्री/श्रीमती देवी पांडे श्री/श्रीमती मुकुंद पांडे	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति प्लॉट नंबर 13 खसरा 183, 184, शिवत शापुर परमाण लखनऊ, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226 028 पत्र : अन्य का प्लॉट, परिधान : विकलांग का प्लॉट, उत्तर : 20 फीट चौड़ी रोड, दक्षिण : विकलांग का प्लॉट।	मांग सूचना : 09-08-2021 रु. 8,87,349.12/- (एक अठार लाख सत्तराह हजार तीन सौ उन्पचास तथा चार सत्तर मात्र) 21-08-2021 तक बकाया राशि 01-09-2021 से प्रारंभिक की तिथि तक ब्याज और अन्य प्रभार एवं लागत	25-04-2025 तक/की तिथि

स्थान : लखनऊ, तिथि : 29-04-2025 वारो इंडिया शेल्टर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (प्राधिकृत अधिकारी) किसी पुरातार के लिए कृपया संपर्क करें : श्री सुधीर तोरन (+91 88184 60101)

HFS Hiranandani Financial Services

हिरानंदानी फाइनेंसियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 514 बालनगर टावर 211 जी प्रेस जंक्शन, नई दिल्ली-400021
 कॉर्पोरेट कार्यालय: अजी संजिव, सिमा टावर, शिवराज विमानन मार्ग, कल्याणी रोड, पार्क, मुंबई-400076.
 ईमेल: wecare@hfs.in / वेबसाइट: www.hfs.in / टुवॉकअप: 022-25763623 / सीआरएल नंबर: U165999MH2017PTC291060

मांग-सूचना

वित्तीय आसिस्तों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 ("अधिनियम")

अधोहस्ताक्षरों अधिनियम के तहत हिरानंदानी फाइनेंसियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद "एम्प्लॉयर" के रूप में संदर्भित) के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शर्तियों का प्रयोग करते हुए नियम 3 के साथ पठित, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना जारी की गई है, जिन्हें निम्नलिखित शर्तों/शर्तों को उन्हे निम्नलिखित शर्तों/शर्तों (उत्तम अधिनियम/शर्तों) के साथ पठित किया जाता है कि वे सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आसिस्तों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और (प्रतिभूति) हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) एवं 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शर्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना इसमें आगे वर्णित शर्तों के सामने वर्णित तिथि को जारी की थी, जिसमें कर्दार और सम्पत्ति के रूप में, प्राप्ति से बकाया राशि का भुगतान उत्तम सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर संवेदित नोटिस (सूचनाओं) में उल्लिखित राशि का भुगतान करने का कच्चा किया गया है। अधोहस्ताक्षरों ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति/यों के संबंध में कोई भी संव्यवहार इंडिया शेल्टर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड की नीचे वर्णित बकाया राशि तथा उस पर व्याज, लागत इत्यादि के प्रभावहीन होगा।

ऋण खाता संख्या और आधारकर्ता/सह-आधारकर्ताओं का नाम/पता	धारा 13(2) के तहत मांग की तिथि की तिथि और कुल बकाया	सूचित संघर्षित / बैंक संघर्षित का विवरण
रैंक : 437595510115447, ब्याज अंश 50524	दिनांक : 26.04.2025 दिन : 437595510115447 के लिए 18.04.2025 तक रु.20,28,970/- (बीस लाख अठसठ हजार नौ सौ सत्तर रुपये मात्र) और पंजीकृत दिनांक : 04.04.2025	कच्चा मांग इच्छा/सूचना, परमाणु, तदुपरोक्त और वित्त लखनऊ-227105, उत्तर प्रदेश में स्थित प्लॉट नं. 11, अरुली नंबर 185 का संपूर्ण हिस्सा एवं अंश निरस्त करके 2000 वर्ग फीट या 185 वर्ग मीटर में मीटर है। पर, दक्षिण आसिस्त का मकान।

अधोहस्ताक्षरों को पता चला है कि वे सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (इसके बाद "एम्प्लॉयर" के रूप में संदर्भित) के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शर्तियों का प्रयोग करते हुए नियम 3 के साथ पठित, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना जारी की गई है, जिन्हें निम्नलिखित शर्तों/शर्तों को उन्हे निम्नलिखित शर्तों/शर्तों (उत्तम अधिनियम/शर्तों) के साथ पठित किया जाता है कि वे सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आसिस्तों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और (प्रतिभूति) हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) एवं 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शर्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना इसमें आगे वर्णित शर्तों के सामने वर्णित तिथि को जारी की थी, जिसमें कर्दार और सम्पत्ति के रूप में, प्राप्ति से बकाया राशि का भुगतान उत्तम सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर संवेदित नोटिस (सूचनाओं) में उल्लिखित राशि का भुगतान करने का कच्चा किया गया है। अधोहस्ताक्षरों ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति/यों के संबंध में कोई भी संव्यवहार इंडिया शेल्टर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड की नीचे वर्णित बकाया राशि तथा उस पर व्याज, लागत इत्यादि के प्रभावहीन होगा।

ऋण खाता संख्या और आधारकर्ता/सह-आधारकर्ताओं का नाम/पता	धारा 13(2) के तहत मांग की तिथि की तिथि और कुल बकाया	सूचित संघर्षित / बैंक संघर्षित का विवरण
रैंक : 437595510115447, ब्याज अंश 50524	दिनांक : 26.04.2025 दिन : 437595510115447 के लिए 18.04.2025 तक रु.20,28,970/- (बीस लाख अठसठ हजार नौ सौ सत्तर रुपये मात्र) और पंजीकृत दिनांक : 04.04.2025	कच्चा मांग इच्छा/सूचना, परमाणु, तदुपरोक्त और वित्त लखनऊ-227105, उत्तर प्रदेश में स्थित प्लॉट नं. 11, अरुली नंबर 185 का संपूर्ण हिस्सा एवं अंश निरस्त करके 2000 वर्ग फीट या 185 वर्ग मीटर में मीटर है। पर, दक्षिण आसिस्त का मकान।

अधोहस्ताक्षरों को पता चला है कि वे सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (इसके बाद "एम्प्लॉयर" के रूप में संदर्भित) के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शर्तियों का प्रयोग करते हुए नियम 3 के साथ पठित, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना जारी की गई है, जिन्हें निम्नलिखित शर्तों/शर्तों को उन्हे निम्नलिखित शर्तों/शर्तों (उत्तम अधिनियम/शर्तों) के साथ पठित किया जाता है कि वे सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आसिस्तों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और (प्रतिभूति) हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) एवं 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शर्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना इसमें आगे वर्णित शर्तों के सामने वर्णित तिथि को जारी की थी, जिसमें कर्दार और सम्पत्ति के रूप में, प्राप्ति से बकाया राशि का भुगतान उत्तम सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर संवेदित नोटिस (सूचनाओं) में उल्लिखित राशि का भुगतान करने का कच्चा किया गया है। अधोहस्ताक्षरों ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति/यों के संबंध में कोई भी संव्यवहार इंडिया शेल्टर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड की नीचे वर्णित बकाया राशि तथा उस पर व्याज, लागत इत्यादि के प्रभावहीन होगा।

हस्ता./- अधिकृत अधिकारी दिनांक: 29.04.2025

कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी पुरकाजी (मुजफ्फरनगर)

पत्रांक 147/लेखा0-क्रिटिकल गैप/2025-26 दिनांक :-25.04.2025

अल्पकालीन गिविदा आमन्त्रण सूचना

खण्ड विकास अधिकारी पुरकाजी मुजफ्फरनगर की ओर से क्रिटिकल गैप योजनान्तर्गत निम्नलिखित निर्माण कार्य पर निविदादेय राज्य सरकार के समस्त राजकीय विभागों में पंजीकृत ठेकेदारों से उनकी पंजीकरण सीमा अन्तर्गत दिनांक 08.05.2025 की अपरान्त 2 बजे तक प्रतिशत दर पर मोहर बन्ध निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनांक 07.05.2025 की प्रातः 11 बजे तक विकास खण्ड कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं निर्माण कार्य की अरनेस्ट मनी/जमानत राशि किसी भी राष्ट्रियकृत बैंक की एफडी0आर0 या एनए0एसडी0 के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी पुरकाजी के पक्ष में बन्धक कराकर निविदा के साथ जमा की जाती है। निविदादेय दिनांक 08.5.2025 को सायं 4 बजे ब्लॉक स्तरीय समिति के द्वारा उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोली जायेगी। कोई भी निविदा बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरों को होगा। निविदा सशर्त स्वीकार नहीं होगी। किसी भी विदाये उत्पन्न होने की दशा में न्याय क्षेत्र मुजफ्फरनगर ही मान्य होगा। कार्य इस विकास खण्ड के अन्तर अभियन्ता (आ0अ0वि0) की देखरेख में करना होगा तथा उनके सत्यापन के उपरान्त ही भुगतान होगा कार्यदेश प्राकलन की धनराशि की तकनीकी स्वीकृति के आधार पर जारी किये जायेगे विस्तृत शर्त एवं विवरण किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में देखे जा सकते हैं। समय उपरान्त कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। कराये जाने वाले कार्य का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु0 में)	समय अवधि	निविदा मूल्य जी0 एस0 टी0 सहित
1.	उच्च प्राथमिक विद्यालय बड़ीवाला की चारदीवारी का निर्माण कार्य।	8.61	3 माह	508
2.	ग्राम पंचायत अलमावाला में सोलानी नदी पर लोहे का छोटा पुल निर्माण कार्य।	5.16	3 माह	305

खण्ड विकास अधिकारी पुरकाजी, मुजफ्फरनगर

कच्चा सूचना

जबकि, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आसिस्तों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शर्तियों का प्रयोग करते हुए एच-उधारकर्ता(ओं)/सह-उधारकर्ता(ओं) को मांग नोटिस जारी किया है, जिसमें उधारकर्ताओं से आवहान किया गया है कि वे नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संवेदित नामों के समक्ष उल्लिखित राशि को ब्याज सहित उक्त नोटिस में उल्लिखित लागू दरों पर चुकाएं, साथ ही भुगतान आदेश वसूली की तिथि तक लागू आकारिक व्यय, लागत, प्रभार आदि के रूप में भविष्य में होने वाले ब्याज का भी भुगतान करें।

क्र. सं.	ऋण संख्या	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/बंधकर्ता	13(2) नोटिस दिनांक/बकाया देय (रुपये में)	दिनांक/समय एवं कच्चे का प्रकार
1	46109420000772	1) श्री कपिल कुमार (आधारकर्ता), 2) श्रीमती रितु (सह-आधारकर्ता)	08-01-2025 रु.21,98,709/- (एक करोड़ इक्कीस लाख अठतीस हजार सात सौ एक मात्र) 07-01-2025 तक	दिनांक 26.04.2025 समय: 01:05 अपराह्न प्रतीकालक कच्चा

संपत्ति का विवरण: संपत्ति का विवरण: अचल संपत्ति का यह पत्र टुकड़ा जो प्लॉट नंबर 31 पर एक मकान है, जिसका क्षेत्रफल 76.81 वर्ग मीटर है, जो खसरा नंबर 440, सूबहा कॉलोनी, गांव मानपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश-250001 में स्थित है। इसका व्यापिक श्री कपिल कुमार, पुत्र श्री हरदत्त के पास है। इसकी सीमाएं: उत्तर-चक रोड, दक्षिण-प्लॉट नंबर 32, पूर्व-प्लॉट नंबर 30, पश्चिम-20 फीट चौड़ी सड़क।

यदि उत्तम ऋणकर्ता(ओं) उपरोक्त सूचित परिसंपत्तियों के विवेक, लागतों एवं परिणामों से संतुष्टि उत्तम ऋणकर्ता(ओं) के संपूर्ण अंतिम पर अधिनियम की धारा 13 (4) और क्या लागू नियमावली के अंतर्गत करवाई करेंगे। उत्तम ऋणकर्ता(ओं) को अधिनियम के अंतर्गत प्रतिभूति किया जाता है कि वे सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की पूर्व लिखित अनुमति-रहितता के बिना उपरोक्त परिसंपत्तियों का विक्रय, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्य हस्तान्तरण नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति जो उत्तम अधिनियम के प्रावधानों अथवा उसके अंतर्गत विहित नियमावली का उल्लंघन करता है अथवा उल्लंघन के लिए उत्तरदाता है उसे अधिनियम के अंतर्गत उपलब्धनुसार कार्रवाई देय तहत/अथवा अवैध दिया जाएगा।

स्थान : गुरुग्राम हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी दिनांक : 29-04-2025 सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी पुरकाजी (मुजफ्फरनगर)

पत्रांक 147/लेखा0-क्रिटिकल गैप/2025-26 दिनांक :-25.04.2025

अल्पकालीन गिविदा आमन्त्रण सूचना

खण्ड विकास अधिकारी पुरकाजी मुजफ्फरनगर की ओर से क्रिटिकल गैप योजनान्तर्गत निम्नलिखित निर्माण कार्य पर निविदादेय राज्य सरकार के समस्त राजकीय विभागों में पंजीकृत ठेकेदारों से उनकी पंजीकरण सीमा अन्तर्गत दिनांक 08.05.2025 की अपरान्त 2 बजे तक प्रतिशत दर पर मोहर बन्ध निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनांक 07.05.2025 की प्रातः 11 बजे तक विकास खण्ड कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं निर्माण कार्य की अरनेस्ट मनी/जमानत राशि किसी भी राष्ट्रियकृत बैंक की एफडी0आर0 या एनए0एसडी0 के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी पुरकाजी के पक्ष में बन्धक कराकर निविदा के साथ जमा की जाती है। निविदादेय दिनांक 08.5.2025 को सायं 4 बजे ब्लॉक स्तरीय समिति के द्वारा उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोली जायेगी। कोई भी निविदा बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरों को होगा। निविदा सशर्त स्वीकार नहीं होगी। किसी भी विदाये उत्पन्न होने की दशा में न्याय क्षेत्र मुजफ्फरनगर ही मान्य होगा। कार्य इस विकास खण्ड के अन्तर अभियन्ता (आ0अ0वि0) की देखरेख में करना होगा तथा उनके सत्यापन के उपरान्त ही भुगतान होगा कार्यदेश प्राकलन की धनराशि की तकनीकी स्वीकृति के आधार पर जारी किये जायेगे विस्तृत शर्त एवं विवरण किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में देखे जा सकते हैं। समय उपरान्त कोई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। कराये जाने वाले कार्य का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु0 में)	समय अवधि	निविदा मूल्य जी0 एस0 टी0 सहित
1.	उच्च प्राथमिक विद्यालय बड़ीवाला की चारदीवारी का निर्माण कार्य।	8.61	3 माह	508
2.	ग्राम पंचायत अलमावाला में सोलानी नदी पर लोहे का छोटा पुल निर्माण कार्य।	5.16	3 माह	305

खण्ड विकास अधिकारी पुरकाजी, मुजफ्फरनगर

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक (एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक) पंजीकृत कार्यालय :- द फेयरवे, यू एवं प्रथम तल, सर्वे नं. 10/1, 11/2 एवं 12/2बी, ऑफ डोन्फूर, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के समीप, छल्लाघटा, बैंगलोर-560071, शाखा कार्यालय : 16/12, द्वितीय तल, डब्ल्यू.ई.ए. आर्य समाज मार्ग, करोल बाग, दिल्ली-110005

ई-नीलामी सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) एवं 9 के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफोएसि अधिनियम) 2002 के अंतर्गत ई-नीलामी के माध्यम से विक्रय की सार्वजनिक सूचना

अधोहस्ताक्षरकों ने जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में सरफोएसि अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शर्तियों के प्रयोगांतर्गत निम्नलिखित संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया है। उधारकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को सामान्य रूप में सूचित किया जाता है कि बैंक की बकाया राशियों की वसूली करने के लिये निम्न वर्णित खाता में बंधक संपत्ति को ऑनलाइन नीलामी (ई-नीलामी) का आयोजन यहां नीचे निर्धारितनुसार तिथि पर "जैसी है जहाँ है आधार" एवं "जैसी है जो है आधार" पर किया जायेगा।

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	मूल उधारकर्ता सह-उधारकर्ता/गारंटर के नाम	13-2 सूचना की तिथि	अधिग्रहण की तिथि	24-04-2025 के अनुसार वर्तमान बकाया शेष	संपत्ति के निरक्षण की तिथि एवं समय	आरक्षित मूल्य आरंभिक/अंश	घरोरहर राशि जमा (हराज) आरंभिक/अंश में	ई-नीलामी की तिथि एवं समय	बोली जमा करने की अंतिम तिथि, समय एवं स्थान
1.	47919420000044	1) इस्लाम पुत्र नजीर (आधेदेव), 2) पाकीजा परबी इस्लाम (सह-आधेदेव)	27-03-2024	24-12-2024	रु. 14,79,410.34 (रुपये पचास लाख उन्पचासी हजार चार सौ दस और तीसताई पैसे मात्र)	20.05.2025 को 09:30 पूर्वाह्न से 05:00 बजे सायं	रु.13,60,800/- (रुपये तेरह लाख साठ हजार आठ सौ मात्र)	रु.1,36,100/- (रुपये एक लाख सत्तराह हजार एक सौ मात्र)	03.06.2025 11:00 पूर्वाह्न	02.06.2025 को सायं 05:00 बजे से पूर्व, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय : 16/12, द्वितीय तल, डब्ल्यू.ई.ए. आर्य समाज मार्ग, करोल बाग, दिल्ली-110005।

प्रतिभूति परिसंपत्तियों का विवरण : अचल संपत्ति के सभी टुकड़े और पारसल : संपत्ति में शामिल खेदत खतीनी नंबर 50/80 और 84, खसरा नंबर 26/10/2/2, 10/3, 25/5/2/2, 26/10/4, 11/4, 25/5/3/2, 26/11/1, 11/3, 26/11/2 कितने 9 रकबा तवादी 13 कनाल 13 मरले मांग बकदर 21/546, 10.5 मरले बाका रकबा मनी मिलापुर मकान नंबर 51 जमानदी वर्ष 2017-2018 के लिए, तत्सली मिलापुर, जिलायमुननगर में स्थित, इस्लाम पुत्र नजीर के स्वामित्व में। सीमा : पूर्व : अमरवती की संपत्ति 64 फीट, पश्चिम : संपत्ति 64 फीट, उत्तर : संपत्ति 44.3 फीट, दक्षिण : 44.3 फीट रोड।

संपत्तियों को नीलामी "जैसी है जहाँ है आधार" और "जैसी है जो है आधार" पर आयोजित की जा रही है और ई-नीलामी "ऑन लाइन" आयोजित की जाएगी। नीलामी, बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मैसर्स 4 क्लोजर के माध्यम से वेब पोर्टल <https://bankauctions.in> और www.foreclosureindia.com पर आयोजित की जाएगी। अधिक जानकारी और ई-नीलामी पर विवरण, सहायता, प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए, संचालित बोलीदातागण, मैसर्स 4 क्लोजर के श्री उत्कर्ष आदेश संपर्क नंबर : 9515160064, ईमेल आईडी : info@bankauctions.in / ades@bankauctions.in पर संपर्क कर सकते हैं।

ई-नीलामी कार्यालयों में भाग लेने के लिए भावी नियमों और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी हेतु और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न हेतु कृपया जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्राधिकृत अधिकारियों श्री शशि कुमार (मोबाइल नं. 8700277112), श्री राकेश शर्मा (मोबाइल नं. 7230070463), श्री रजनी नाइक (मोबाइल नं. 6362951653) से संपर्क करें। प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार, यहाँ संपत्तियों पर कोई ऋणधार नहीं है। हालाँकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले संपत्ति के स्वामित्व, ऋणधारों के संबंध में अपनी स्वतंत्र पुरातार कर लेनी चाहिए। कोई भी सशर्त बोली स्वीकार नहीं की जायेगी। यह बंधकृत संपत्तियों के लिए निर्धारित ई-नीलामी के बारे में उपरोक्त नामित उधारकर्ताओं / गारंटर / बंधककर्ताओं के लिए एक सूचना भी है। उधारकर्ता / गारंटर / बंधककर्ता को एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नीलामी की तिथि से पूर्व अद्यतन ब्याज एवं अनुमोदी व्ययों के साथ ऊपर उल्लिखितानुसार राशि का भुगतान करें, भुगतान करने में विफल रहने पर संपत्ति बेच दी जाएगी और शेष बकाया राशि, यदि कोई हो, की वसूली ब्याज एवं लागत के साथ की जायेगी।

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड दिनांक : 29-04-2025, स्थान : यमुना नगर

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक (एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक) पंजीकृत कार्यालय :- द फेयरवे, यू एवं प्रथम तल, सर्वे नं. 10/1, 11/2 एवं 12/2बी, ऑफ डोन्फूर, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के समीप, छल्लाघटा, बैंगलोर-560071, शाखा कार्यालय : 16/12, द्वितीय तल, डब्ल्यू.ई.ए. आर्य समाज मार्ग, करोल बाग, दिल्ली-110005

ई-नीलामी सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) एवं 9 के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफोएसि अधिनियम) 2002 के अंतर्गत ई-नीलामी के माध्यम से विक्रय की सार्वजनिक सूचना

अधोहस्ताक्षरकों ने जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में सरफोएसि अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शर्तियों के प्रयोगांतर्गत निम्नलिखित संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया है। उधारकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को सामान्य रूप में सूचित किया जाता है कि बैंक की बकाया राशियों की वसूली करने के लिये निम्न वर्णित खाता में बंधक संपत्ति को ऑनलाइन नीलामी (ई-नीलामी) का आयोजन यहां नीचे निर्धारितनुसार तिथि पर "जैसी है जहाँ है आधार" एवं "जैसी है जो है आधार" पर किया जायेगा।

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या</
----------	------------------